न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

<u>निर्णय द्वारा अध्यासित चेतन देवड़ा आई॰ए॰एस</u>

प्रकरण संख्या 03/**2020** अपील (राजस्व)

श्री बाबूलाल पिता श्री तुलसीराम कुम्हार, निवासी– घासा, तहसील मावली, जिला– उदयपुर (राज.)

–– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

–– रेस्पोडेन्ट

<u>प्रथम अपील विरूद्ध आदेश तहसलीदार मावली उदयपुर (राज.) दिनांक 04.10.2019 बप्रकरण संख्या 15/2019 नाजायज कब्जा</u>

उपस्थित : श्री गिरजा शंकर मेहता, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

<u>निर्णय</u>

दिनांकः–22.02.2021

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार मावली के प्रकरण संख्या 15/19 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 04.10.19 से नाराज होकर प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि पटवार हल्का घासा की आराजी संख्या 654 रक्बा 2.16 बीघा किस्म बीलानाम गैर काबिल काश्त रास्ता में 5 इन्टू 10 बराबर 50 वर्गफिट में पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है परन्तु मावली तहसील में क्षेत्रफल की गणना न्यूनतम ईकाई बीस्वा होने से 0.01 बीघा अंकित किया गया होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2019 को बेदखली का आदेश पारित कर जुर्माना से आरोपित किया गया है। प्रकरण में वादग्रस्त [illegible] आराजीयात पर अपीलार्थी स्वयं की आराजी भूमि होकर अपीलार्थी द्वारा [illegible] मकान बना रखा है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:55:47 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी सपरिवार उक्त मकान में वर्षों कदिम से निवास करता चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी भूमि के किसी भाग पर अपीलार्थी द्वारा कोई कब्जा नहीं किया गया है। बल्कि अपीलार्थी के मकान के दुसरे छोर पर अन्य राजनैतिक पहूंच वाले व्यक्ति द्वारा उक्त रास्ते की भूमि पर भारी मात्रा में अतिक्रमण कर रखा है जो जानबुझकर अपीलार्थी को निशाना बनाकर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक गरीब व्यक्ति को बिना वजह परेशान किया जा रहा है। अपीलार्थी के विरूद्ध किये जा रहे षडयंत्र की निष्पक्ष जाँच पड़ताल किये कयासी आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया है वह न्याय एवं विधि के सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त योग्य है। ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य पदाधिकारी द्वारा राजनैतिक दबाव मे आकर बिना नाप एवं सीमांकन किये अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित किया गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा आराजी संख्या 654 के किसी भी भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि अपीलार्थी का मकान उसकी खुद की आराजी पर होकर वर्षो कदिम से रिहायशी के रूप में काम में लिया जाता रहा है। वादग्रस्त रास्ता लगभग 150–200 फिट चौडा होने के बावजूद हल्का पटवारी द्वारा न उसका नाम निकाला गया है न ही यह दर्शाया गया है कि सामने वाले पक्ष द्वारा कितनी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिसका कोई नापतौल नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट पर विश्वास कर आदेश पारित कर दिया गया जो अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मेमों के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानुन मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.10.2019 का पारित किया गया जिसकी नकल अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.10.2019 को प्राप्त की गई परन्तु अपीलार्थी टाइफाइड एवं पोलियों की बीमारी से ग्रसित होने के कारण उदयपुर नहीं आ सका। थोड़ा ठीक होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुती में हुई देरी को समायत फरमायी जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:55:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत तर्को एवं तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद माना जाता है।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश प्रदान किया गया है वह मौजा घासा की आराजी संख्या 654 रक्बा 2.16 बीघा बिलानाम भूमि में 5 इन्टू 10 वर्गफिट में पक्का निर्माण को मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली के आदेश दिये गये है। जबकि वास्तविकता यह है कि स्वयं की आराजीयात भूमि पर ही अपीलार्थी द्वारा मकान बना रखा है जिसमें परिवार सहित कदिम से निवास करता चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि के किसी भाग पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं रहा है, वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी के मकान के दुसरे छोर पर अन्य राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति द्वारा रास्ते की भूमि पर भारी मात्रा में अतिक्रमण कर रखा है जिसके द्वारा जानबुझकर अपीलार्थी को निशाना बनाकार लोगो का ध्यान भटकाकर परेशान किया जा रहा है। पटवारी द्वारा सही नाप नहीं किया गया, मात्र कयासी आधार पर रिपोर्ट करने के बावजुद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बेदखली के आदेश प्रदान कर दिये गये। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 04.10.2019 का निरस्त फरमाया जावे।

उपस्थित अधिवक्ता राजकीय द्वारा अपीलार्थी के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा मौजा घासा की आराजी संख्या 654 रक्बा 2.16 बीघा किस्म रास्ता की भूमि में से 0.01 बीस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर 5 इन्टू 10 फीट का पक्का निर्माण कराया है। किया गया निर्माण कार्य रास्ते की भूमि पर किया गया जिससे रास्ता अवरूद्ध हो रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा भी इसकी शिकायत की गई है जिस पर अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally Signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:55:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा बेदखली की कार्यवाही की गई है जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार मौजा घासा पटवार हल्का घासा की आराजी संख्या 654 रक्बा 2.16 बीघा किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त रास्ता में से 0.01 बीघा भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण कर 5X10 फीट पर निर्माण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर पटवारी द्वारा पुनः रिपोर्ट दिनांक 26.09.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्णित आराजीयात में 5 इन्टु 10 फिट पर पक्के निर्माण की कार्यवाही बाबूलाल पिता तुलसीराम कुम्हार द्वारा की गई है। परन्तु मावली तहसील में क्षेत्रफल गणना की न्यूनतम इकाई बिस्वा होने से 0.01 बीघा का अतिक्रमण अंकित किया गया है। किस्म रास्ते की भूमि के नियमन संभव नहीं है एवं रास्ते में अतिक्रमण से आमजन को परेशानी होती है।

न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रथम दृष्ट्या अपीलार्थी का मौजा घासा की आराजी संख्या 654 रक्बा 2.16 बीघा किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त रास्ता में से 0.01 बीघा पर अतिक्रमण किया जाना पाये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निष्पादित कार्यवाही विधि अनुसार सही है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजाइश नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारीज की जाती है।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:55:47 IST
Reason: SelfAttested